निवेश का झांसा देकर ठगने वाला शातिर गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि एयरपोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी गणेश मीणा सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क कर 5 हजार रुपए को 25 हजार रुपए बनाने का झांसा देता था। निवेश के नाम पर वह लोगों से पैसे लेकर ठगी करता था।

इस पर थानाधिकारी रुपनारायण यादव के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शातिर साइबर अपराधी गणेश मीणा (22) निवासी बाटोडा जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग ठगी में किया जाता था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोला सौगातों का पिटारा

- **आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी होगा। माउंट आबू का नाम अब ''आबू राज'', जहाजपुर का नाम ''यज्ञपुर'' तथा कामां का नाम ''काम वन'' होगा। सरकार अगले साल 150 रुपये बोनस के साथ गेहूं की खरीद 2735 प्रति क्विंटल की दर से करेगी।**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में शुक्रवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक बार फिर बड़ी सौगात देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विरासत संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए माउंट आबू का नाम ''आबू राज'', जहाजपुर का नाम ''यज्ञपुर'' तथा कामां का नाम ''काम वन'' करने की घोषणा की। उन्होंने संकल्प पत्र में 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेंहू खरीद का वादा पूरा करते हुए आगामी वर्ष में 150 रुपये बोनस के साथ गेहूं की खरीद 2735 रुपये प्रति क्विंटल से करने की घोषणा की।

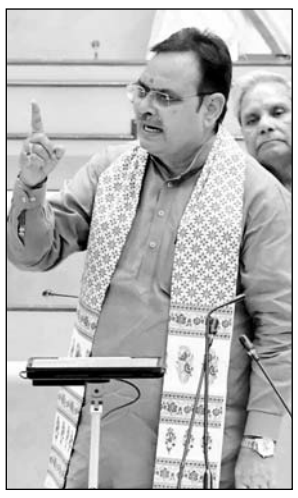

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की महत्वपूर्ण घोषणाएं.....

- पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों को आगामी वर्ष में 9200 करोड़ रु. मिलेंगे।
- प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का विद्यालय आधारभूत संरचना कोष।
- वीबीजीरामजी योजना में 4000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन 150 रु. बढ़ोतरी के साथ 1450 रु. मिलेगी।
- 653 करोड़ की लागत से सिंचाई सुविधाओं से संबंधित कार्य होंगे।
- मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान।
- 900 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण व पुल निर्माण।
- 83.25 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में नई पाइपलाइन, जलाशय, नलकूप स्थापना व पुनर्जीवन कार्य।
- 132 केवी के दो एवं 33/11 केवी के 11 जीएसएस स्थापित होंगे
- 33 केवी तक विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- नॉन एससी/एसटी श्रेणी के काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भू-रूपान्तरण, अप्रोच रोड के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर, उपखण्ड अधिकारी या सहायक आयुक्त, उपनिवेशन के स्तर पर ही किये जाने की व्यवस्था।
- जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में लगभग 42.80 किलोमीटर दूरी में 13600 करोड़ रु. लागत के कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे।
- जयपुर में द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनेगी।
- रोडवेज के लिए 300 नई बसें खरीदेंगे, उप नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नए परमिट।
- संभाग मुख्यालयों एवं बड़े शहरों में 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं
- भिवाड़ी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 150 करोड़ रु. के कार्य।
- बालोतरा जिले में कौशल विकास हब बनेगा।
- औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल व विद्युत व्यवस्था पर 300 करोड़ रु. खर्चेंगे।
- पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति का प्रस्ताव।
- 25 हजार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण तथा 2500 दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी।
- व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी करने हेतु विशेष अभियान, वनाधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि।
- 8.50 लाख जनजाति कृषकों को नि:शुल्क संकर मक्का बीज देंगे।
- जनजाति क्षेत्र 5 हजार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याजमुक्त ऋण।
- चिकित्सा क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण व मरम्मत के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान।
- 50 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, 25 पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।
- प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 50 हजार लीटर के डेयरी प्लांट।
- गौ-सेवा नीति-2026 लाई जाएगी। 1000 नए अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना।
- 2 नवीन पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, एक नया पुलिस थाना, 4 पुलिस चौकियों का क्रमोन्नयन।
- डिजिटल स्किल रखने वाले युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम
- पत्रकारों के लिए राजस्थान आवासन मंडल से जयपुर में आवासीय योजना।
- विधायकों के वेतन में महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को 18 हजार रु. प्रतिमाह व दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 9 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि की घोषणा।

चोर गिरफ्तार

जयपुर। सेज थाना पुलिस ने पान की दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद ने बताया कि सेज पुलिस ने पान की दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हुए शातिर चोर तैय्यब खान (27) निवासी कुडगांव करौली को गिरफ्तार किया।

नाम परिवर्तन

मै खुशबू कुमारी, सेना क्रमांक 13766975N हावलदार बदन सिंह, 18 जेक राइफल, निवासी ग्रामध्योस्ट- कैमरी (ढंड का पुरा), तहसील- नादौती, जिला- करौली (राजस्थान) पिन- 322216 की पुत्री हूँ। मेरा नाम मेरे पिताजी के सेवा अभिलेख में गलती से खुशबू कुमारी दर्ज हो गया जो कि गलत है। मेरे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में सही नाम खुसबू बाई है। अतः भविष्य मै मेरे पिताजी के सेवा अभिलेख में भी यही नाम मान्य होगा।

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201
Mobile No.: 8005842512 Email: dean.coabharatpur@sknau.ac.in
No. F. /OT/COA-K/2026/6635 Dated: 25.02.2026
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding supply of **Sports Items and Laboratory Equipment's** are invited from interested bidders upto 01 PM of 06.03.2026 and the tender will be opened on 06.03.2026 at 02.30 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the Rajasthan state; and www.sknau.ac.in University Website.
NIB code: SKN2526A0474 and UBN is: SKN2526GSOB00511
Yours faithfully, DEAN
Raj.Samwad/C/25/21526

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201
Mobile No.: 8005842512 Email: dean.coabharatpur@sknau.ac.in
No. F. /OT/COA-K/2026/6632 Dated: 24.02.2026
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding supply of **Computers i3 Desktop** are invited from interested bidders upto 01 PM of 06.03.2026 and the tender will be opened on 06.03.2026 at 02.30 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the Rajasthan state; and www.sknau.ac.in University Website.
NIB code: SKN2526A0473 and UBN is: SKN2526GSOB00510
Yours faithfully, DEAN
Raj.Samwad/C/25/21528

कार्यालय राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर
क्रमांकः-2966-89 दिनांकः- 24.02.2026
विज्ञप्ति
सर्व सूचित किया जाता है कि राजधानी मण्डी प्रांगण में सीकर रोड़ जयपुर में आवंटन समिति की बैठक दिनांक 13.03.2026 में 'ख' वर्ग दलाल संघ को 1000 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रभावी डी.एल.सी. दर पर आवंटन पर विचार किया जाना है तथा न्यायालय से सम्बधित विभिन्न निर्णित प्रकरणों पर भी विचार किया जाना है, अतः रजिस्टर्ड दलाल संघ जिन्हें भूखण्ड आंवटन के लिए आवेदन करना है, तथा आवंटन से सम्बंधित न्यायालय में पूर्व में निर्णित प्रकरणो को निस्तारण करवाना हो तो मण्डी कार्यालय में दिनांक 09.03.2026 तक आवेदन प्रस्तुत करें, इसके पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।
राज.संवाद/सी/25/21531 सचिव प्रशासक

व्हील्सईएमआई प्राइवेट लिमिटेड
BIKE BAZAAR
3A श्याम शकुंतल हाइट्स, मोदी बाग, गणेशखिंड रोड, डेक्कन व्हील्स शोरूम के पीछे, शिवाजीनगर, पुणे - 411016, महाराष्ट्र
सार्वजनिक सूचना
सार्वजनिक जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि व्हील्सईएमआई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 3A श्याम शकुंतल हाइट्स, मोदी बाग, गणेशखिंड रोड, डेक्कन व्हील्स शोरूम के पीछे, शिवाजीनगर, पुणे - 411016, महाराष्ट्र में स्थित है, अपने शाखा कार्यालय को बंद करने का प्रस्ताव कर रही है, जो दूसरी मंजिल, गणपति प्लाजा, एमआई रोड, जयपुर-302001 में स्थित है। यह शाखा बंद करने की प्रक्रिया आंतरिक व्यावसायिक पुनर्गठन के अंतर्गत की जा रही है।
आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, यह सूचना प्रस्तावित बंदी की तिथि 30/05/2026 से पूर्व प्रकाशित की जा रही है, ताकि ग्राहकों, उधारकर्ताओं, व्यापारिक भागीदारों एवं आम जनता को निरंतर सेवाओं की व्यवस्था के बारे में सूचित किया जा सके। संबंधित शाखा से जुड़े सभी ग्राहकों को हमारी अन्य शाखा से जो ओरियन प्लाज़ा, प्लॉट नंबर 2E/23,चौथी मंज़िल, कार्यालय संख्या 403 - 404, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 में स्थित है, बिना किसी व्यवधान के सेवाएं प्रदान की जाती रहेंगी। शाखा बंद होने के पश्चात, ग्राहक हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर से संपर्क कर सकते हैं: ई-मेल: customercare@bikebazaar.com ; संपर्क नंबर: 07770005566
व्हील्सईएमआई प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरित/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनांक: 28-02-2026

SBI Life
Apne liye. Apno ke liye.
सूचना: पते में परिवर्तन
संबंधितों को सूचित किया जाता है कि **30/04/2026** से हमारी मौजूदा **क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (कोड-0481)** निम्न पते पर स्थानांतरित होगी :
नया पता:
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.,
''सिद्धि राज एमिनेंस'', द्वितीय तल, प्लॉट नं. 98 से 104, स्कीम नं.16ए, गिरनार कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राजस्थान
पुराना पता:
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.,
द्वितीय तल, एआरजी कोरपोरेट पार्क, प्लॉट नं. 8 व 9, गोपालबाड़ी, अजमेर रोड, जयपुर-302001, राजस्थान
ऊपर दर्शाया गया ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है जिसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस के अधीन उपयोग करती है। कंपनी का प्रधान कार्यालय ''नटराज'', एमवी रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069 है जिसका पंजीयन विवरण निम्नानुसार है: **IRDAI Regn. No.111** | CIN : L99999MH2000PLC129113 | Website: www.sbilife.co.in | Email: info@sbilife.co.in | टॉल फ्री नं.: 1800 267 9090 (ग्राहक सेवा समय : 24X7)

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर
Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com Phone No. 01423-230025
क्रमाकः- पंसगो / लेखा/ई-निविदा/2025/245 दिनांकः-27.02.2026
निविदा सूचना संख्या /2025-26
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनओं में स्वीकृत कार्यों / संकर्म हेतु सक्षम श्रेणी मे पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मे निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
NIB NO online PFA2526A0488 To PFA2526A0491
UBN NO online- PFA2526WSOB00489 To PFA2526WSOB0049
NIB NO OFFLINE-PFA2526A0493 To 2 PFA2526A0501
UBN NO OFFLINE-PFA2526WSOB00494 To PFA2526WSOB00503
विकास अधिकारी
पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर)

समाचार पत्र राष्ट्रदूत दैनिक, जयपुर
फार्म नं. 4 (नियम 8 देखें)

1. प्रकाशन स्थान	जयपुर
2. प्रकाशन अवधि	दैनिक
3. मुद्रक का नाम	सोमेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
पता	1. सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर 2. सुधर्मा-।।, लालकोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर
4. प्रकाशन का नाम	सोमेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है?	नहीं
पता	सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर
5. सम्पादक का नाम	राजेश शर्मा
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है?	नहीं
पता	सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार व हिस्सेदार हों।	राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) कर्ता श्री राजेश शर्मा सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर

मैं सोमेश शर्मा, एतद् घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य है।
28-02-2026 ह. सोमेश शर्मा
प्रकाशक के हस्ताक्षर

खोया पाया
मेरे आवास 66/167 वी.टी. रोड मानसरोवर जयपुर के मूल कागजात अलोटमेंट लैटर Perpetual Deed, Connivance Deed, Possession letter, Hand over taken over, No dues, Declaration कही खो गये हैं (जो कि आवासन मण्डल द्वारा चमेली देवी के नाम से जारी है) कृपया मिलने पर सूचित करें-8076127117

मेरे प्लाट नंबर 864 आनंद लोक, फेज-2 सीकर रोड, जयपुर के मल अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर स्वर्ण पथ, मानसरोवर में कहीं खो गया है जो कि जेडीए द्वारा ओम प्रकाश गोयल के नाम से जारी है मिलने पर कृपया सूचित करें। 9829051945

नाम परिवर्तन
मेरे पुत्र सात्विक (SATVIK) का नाम बदलकर सात्विक गुप्ता (SATVIK GUPTA) रख लिया है। सम्पूर्ण दस्तावेजों, शैक्षणिक दस्तावेजों में भी (SATVIK GUPTA) ही है। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। अंकुर गुप्ता, एफ-16, दीनदयाल कॉलोनी, निवाई, जिला-टोंक (राज.)

मैं आर्मी नंबर 1568747एफ हवालदार प्रजापति प्रकाश भाई निवासी फोरना बनासकांठा गुजरात मेरे सैनिक दस्तावेज में नाम प्रजापति प्रकाश ऐस.बी. है। जो कि गलत है मेरा नाम प्रजापति प्रकाश भाई है। जो कि सही और सत्य है।

I, APPANI LINGU mother of No. 8039076N L/NK(GD) APPANI RAMU R/o Vill: Perkapally, Po:Thippannapeta, Teh: Jagityal, PS: Jagityal, Dist: Karimnagar, State: Andhra Pradesh, PIN: 505529 have changed my name from APPANI LINGU to APPANI LINGAMMA and date of birth also changed from 14 JUN 1968 to 01 JAN 1966 Vide affidavit No. CE830584 Date 27/02/2026 (Jaipur)

I, APPANI RAJAMALLU Father of No. 8039076N L/NK(GD) APPANI RAMU R/o Vill: Perkapally, Po:Thippannapeta, Teh: Jagityal, PS: Jagityal, Dist: Karimnagar, State: Andhra Pradesh, PIN: 505529 have changed my name from APPANI RAJAMALLU to APPANI RAYAMALLU and date of birth also changed from 14 JUN 1964 to 01 JAN 1961 Vide affidavit No. CE830585 Date 27/02/2026 (Jaipur)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 0141-4901853
क्रमांक : 703 **आम जाहिर सूचना** दिनांक : 27.02.2026
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा **आवास संख्या 3/ब/23 जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 198.00 वर्ग गज** का आवंटन **श्री पदम चन्द जैन** को किया गया था जिसक आवंटन पत्र कमांक 133 दिनांक 28/01/1976 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 27.03.1991 को करवाया गया। एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 3923 दिनांक 04/11/2025 जारी कर **आवास संख्या 3/ब/24 जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 199.00 वर्ग गज** का हस्तान्तरण संयुक्त रूप से **श्रीमती राजरानी जैन पत्नी श्री पदम चन्द जैन एवं श्री रवि जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन** के पक्ष में किया गया है। अब **आवास संख्या 3/ब/23 जवाहर नगर, जयपुर** के आवंटी **श्री पदम चन्द जैन एवं आवास संख्या 3/ब/24 जवाहर नगर, जयपुर, आवंटी श्रीमती राजरानी जैन पत्नी श्री पदम चन्द जैन एवं श्री रवि जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन** के द्वारा उक्त दोनों आवासों को मिलाकर एकल पट्टा अपने संयुक्त नाम से जारी करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ताओं **श्री पदम चन्द जैन, श्रीमती राजरानी जैन एवं श्री रवि जैन** के पक्ष में उक्त दोनों आवासों को मिलाकर एकल पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। सम्पदा प्रबंधक
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत तृतीय, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1471
चूंकि प्रार्थी श्री कमल लोचन 23 गोविदा कॉलोनी, त्रिवेणी क्रासिंग के पास, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर-302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री राम कृष्ण गौ सेवा समिति प्लाट नं. 5, श्री रामनगर कॉलोनी, आरा मशीन के पीछे, मान बाग जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.04.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 7/31 ए.ई.बी. 82, योजना, अलवर जोकि श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा को आवंटन पत्रांक 2672 दिनांक 16.07.1987 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त आवास का बेचान उर्त्थ अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा श्री पी.डी. सेमुअल को कर दिया गया। उक्त दस्तावेजो के आधार पर मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अंटेप्र प्रमाण पत्र क्रमांक 6426 दिनांक 21.02.2003 को श्री पी.डी. सेमुअल पुत्र श्री डेनियल पी.जे. के नाम जारी कर दिया गया था। श्री पी.डी. सेमुअल द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 20.03.2003 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री पी.डी. सेमुअल की मृत्यु दिनांक 12.02.2023 को हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री बशीर सेमुअल द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 20.12.2023 एवं मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत अतिपूर्ति क्षतिग्रस्त पत्र, शपथपत्रों मूल मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रो के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तान्तरण किये जाने हेतु शुल्क जमा कराकर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 7/31 एन.ई.बी. 82 योजना अलवर के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करे। अन्यथा श्री बशीर सेमुअल स्व. श्री पी.डी. सेमुअल के पक्ष में आवास के मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-अलवर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/331
चूंकि प्रार्थी श्री राम भरोस मीणा VILL-BHOPALA POST-GARHBASAI THANAGAZI ALWAR PIN 301022 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास लक्ष्मण पब्लिक शिक्षण विकास संस्थान VILL-BHOPALA POST-GARHBASAI THANAGAZI ALWAR PIN 301022 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.05.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 134/2025 (ऑनलाईन)
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री कर्मवीर निवासी ग्राम आलमपुर भिवाडी खैरथल तिजारा राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत बाबा हरिनाथ दिव्यांग सेवा ट्रस्ट भिवाडी सेक्टर 3 राजीव गांधी एन्केलव भिवाडी खैरथल तिजारा के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.04.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करौली (राज.)
क्रमांकः-डाइट/करौली/लेखा/2025-26/978 दिनांकः 27.2.2026
खुली बोली आमंत्रण सूचना सं. 11/2025-26
डाइट संस्थान करौली में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम्प्यूटर सेट, प्रिण्टर, एलईडी एफएचडी, हार्ड ड्राईव एवं पैन ड्राईव आपूर्ति हेतु इच्छुक संवेदक/फर्मों से खुली बोली दिनांक 07.03.2026 तक आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित अनुमानित लागत राशि 1.70 लाख रूपये है। विस्तृत जानकारी स्थानीय कार्यालय एवं बेवसाईट sppp.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है।
UBN CODE:- EED2526GSOB02524
प्राचार्य डाइट करौली

VACANCIES: ARMY PRE PRIMARY SCHOOL, NIWARU
STAFF REQUIRED
1. Army Pre Primary School Niwaru, Jaipur invites applications for post of teachers and administrative staff on contractual basis.

Ser No.	Vacancios for	No. of Vacancy	Age limit	Qualification
(a)	Teacher	07	Minimum age 25 Yrs.	(a) Graduate with NTT/B.Ed from any recognized institute with minimum 50% Marks (b) Basic Knowledge of computers (c) Minimum one year teaching expenience
(b)	Ayah	04		(a) Minimum 8th class passed.

2. Last date of submission of application is 10 Mar 2026 at APPS Niwaru alongwith photocopy of above mentioned documents.
3. The offered salary will be competitive and comparable to what other reputable private schools in the area are offering.
4. For query contact no 0141-2982268, 9530267341
5. e-mail id- appsniwaru45ib@gmail.com

'चुनौती दी, लेकिन विपक्ष में सामना करने की हिम्मत नहीं थी : भजनलाल शर्मा

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और ''दो साल बनाम पांच साल'' की बहस को लेकर विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने बहस की चुनौती दी थी, लेकिन जब सरकार ने उसे स्वीकार किया तो सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई और हंगामा कर सदन छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर आपसी अंतर्कलह है और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें। इसी कारण जानबूझकर व्यवधान खड़ा किया गया। आज उन्हें रोकने वाले सदन में नहीं है, इसलिए वे बोल पाए।

जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष मेहता सहित अन्य आरोप मुक्त

जयपुर (कासं)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने हजारों फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में चर्चा में आए जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कमल मेहता सहित अन्य को विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल पारीक ने कमल मेहता के साथ ही संध्या नागोरी, शैलेन्द्र और जयदीपदास गुप्ता को आईपीसी की विभिन्न धाराओं से आरोप